

उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या-1900 / 43-2-2006-15 / 2(2) / 03 टी.सी.14  
लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2006

### अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005(अधिनियम संख्या-22,सन्.2005) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त अक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार(फीस और लागत विनियम) नियमावली,2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

#### **उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार(फीस और लागत विनियम)(संशोधन) नियमावली,2006**

- |               |    |  |
|---------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम | 1- | (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) (संशोधन) नियमावली,2006 कही जाएगी।  |
|               |    | (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।   |
| नियम-4,5      | 2- | उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार(फीस और लागत विनियम)नियमावली,2006 के नियम 4,5 तथा 6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियमके स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् |
| तथा 6 का      |    |  |
| संशोधन        |    |  |

<u>स्तम्भ-1</u> <u>विद्यमान नियम</u>	<u>स्तम्भ-2</u> <u>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</u>
4 उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकारी को संदेव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा एस रूपये का आवेदन तुल्क संलग्न किया जाएगा।	4. उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकारी को संदेव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा एस रूपये का आवेदन तुल्क संलग्न किया जाएगा।

आज्ञा से

(बी० एम० मीना)  
सचिव

- उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेंटः—
- 1— संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली:
  - 2— राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
  - 3— अध्यक्ष, राजस्व परि ए, उ0प्र0, लखनऊ।
  - 4— कृष्ण उत्पादन आयुक्त आयुक्त, उ0प्र0 गासन, लखनऊ।
  - 5— आधौगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 गासन, लखनऊ।
  - 6— समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 गासन, लखनऊ।
  - 7— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ।
  - 8— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमुत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  - 9— समस्त प्रमुख सचिव/सचिवच, उत्तर प्रदेश गासन/प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्यसचिव।
  - 10— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परि ए, उत्तर प्रदेश।
  - 11— समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
  - 12— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - 13— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
  - 14— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
  - 15— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सूचना की अंगेजी रूपान्तरण सहित इस अनुरोध के साथ प्रेंट त कि वे कृपया इस अधिसूचना को दिनांक—27, नवम्बर, 2006 के असाधारण गजट विधायी परिशि ट भाग—4 खण्ड—ख में प्रकाशित करने का क ट करें और अधिसूचना की 2000 प्रतियाँ प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को नींग उपलब्ध कराने का क ट करें।
  - 16— संसदीय कार्य अनुभाग—1
  - 17— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
  - 18— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जगदीश लाल श्रीवास्तव)